<table>
<tr><td>तारीख हुक्म</td><td>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

ओमप्रकाश बनाम लो.सू.अ.(ए.डी.एम.प्रथम जोधपुर)

सू.अ.अ. अपील संख्या 230/2022</td><td>नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</td></tr>
<tr><td>25-07-2022</td><td>अपीलार्थी ओमप्रकाश दांतीवाड़ा, पता अखिल भारतीय किसान सभा कार्यालय, गांधी टॉवर चौथी मंजिल गांधी अस्पताल के सामने, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 31.05.2022 में (1) अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर न्यायालय की निर्णित राजस्व अपील सं0 43/2019 ओमंप्रकाश बनाम ढगलदास वगैरा निर्णय दिनांक 27.04.2022 में स्वयं प्रार्थी पक्षकार था तथा अपील के निर्णय से संतुष्ट नहीं होने के कारण द्वितीय अपील प्रस्तुत करने हेतु प्रतिलिपि/नकल के फार्म के तहत दर्ज पत्रावली चाही गई परन्तु मूल दस्तावेजों की नकले प्राप्त हो गई परन्तु अप्रार्थीपक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित व छाया प्रतियां की छाया प्रतियां प्राप्त करने हेतु पीठासीन अधिकारी अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर ने कहा कि आप अप्रार्थीपक्ष की ओर से प्रस्तुत प्रमाणित एवं फोटो प्रतियां की प्रतियां अवलोकनार्थ लेना चाहते है तो सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन करे जिस पर सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र उक्त बिन्दु, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा जरिये पत्रांक 717 दिनांक 01.06.22 के जरिये सूचित किया गया कि धारा 8(1)(ख) के अन्तर्गत सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी ने अपील में जाहिर किया कि लोक सूचना अधिकारी अपर जिला कलक्टर शहर–प्रथम जोधपुर ने अपने कार्यालय के पत्रांक सू.अ.अ./प्रा.सं. 255/22/717 दिनांक 01.06.22 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत चाही गई सूचना के आवेदन को यह अभिलिखित करते हुए खारिज कर दिया हे कि सूचना का अधिकार अधि. 2005 की धारा 8(1)(ख) के अन्तर्गत दिया जाना अपेक्षित नहीं है यदि आप चाहे तो संबंधित न्यायालय में प्रतिलिपि/नकल के माध्यम से नियमानुसार आवेदन कर सूचना प्राप्त कर सकते है। अपील में आगे कहा कि मेरे द्वारा वहीं सूचना मांगी गई जिन दस्तावेजों को पत्रावली में सामिल मिसल किया गया एवं निर्णय में अभिलिखित किया है तथा उक्त दस्तावेजों का अध्ययन व परीक्षण कर निर्णय लिखा जाकर सुनाया गया अतः उक्त चाही गई सूचना सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत किसी धारा में प्रतिबंधित नहीं करती है तथा सूचना प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है, यह पूर्व से प्रकट है।

रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 794 दिनांक 15.06.2022 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि प्रार्थी ओमप्रकाश को इस कार्यालय के पत्र संख्या 706 दिनांक 30.05.2022 द्वारा सूचित किया जा चुका है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8(1) (ख) के अन्तर्गत दिया जाना संभव नहीं है, यदि प्रार्थी चाहे तो संबंधित न्यायालय में प्रतिलिपि/नकल के

लगातार....</td><td></td></tr>
</table>

माध्यम से नियमानुसार आवेदन कर सूचना प्राप्त कर सकता है।

चूंकि अपीलार्थी/प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना से संबंधित न्यायालय की पत्रावली निर्णित हो चुकी है अब सार्वजनिक दस्तावेज के रूप में है तथा प्रार्थी स्वयं भी इस पत्रावली में पक्षकार भी है अतः इस स्टेज पर प्रार्थी को पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज की सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अधीन चाही गई सूचना देय है अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर शहर, प्रथम जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी/प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस में उपलब्ध करावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।